UPFR010022272026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) फर्रूखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम.....एच०जे०एस० UP6264

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 1086/2026

मिजाजीलाल बनाम पंकज **आदि**

धारा – 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना – कमालगंज

जनपद – फर्रूखाबाद

दिनांक: 07.08.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत सशपथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी/आवेदक मिजाजीलाल द्वारा सशपथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी पढा लिखा नही है सिर्फ हस्ताक्षर बनाना जानता है। प्रार्थी का उसके ग्राम के ही पंकज पुत्र वीरसहाय से मकान का विवाद चलता है। जिसके संबंध में प्रार्थी ने न्यायालय सिविल जज जू०डि० नगर फतेहगढ जिला फर्रुखाबाद में एक वाद संख्या– 149/2026 मिजाजीलाल बनाम पंकज दायर किया है जो अभी विचाराधीन है। विपक्षी पंकज प्रार्थी के उक्त मकान पर कब्जा करना चाहता है और दिनांक 20.04.2026 को समय करीब शाम 6:00 बजे आरोपी पंकज ने अपने साथियों के साथ प्रार्थी को रास्ते में घेरकर गाली–गालौज करते हुए मारापीटा था उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी ने एक शिकायती पत्र द्वारा आई०जी०आर०एस श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को दिया था। दिनांक 22.04.2026 को पुनः उक्त प्रकरण के संबंध में एक अन्य प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहगढ़ को द्वारा रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किया था। दिनांक 29.04.2026 को थाना पुलिस कमालगंज के द्वारा प्रार्थी को थाने में बुलाकर उसे डराकर और झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर प्रार्थी से सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए और मार–पीटकर थाने से भगा दिया और प्रार्थी के हस्ताक्षर का दुरूपयोग कर प्रार्थी के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2026 का झूठी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर दिया है। दिनांक 10.05.2026 को प्रार्थी सलेण्डर लेने गया हुआ था कि समय करीब दोपहर 2:45 बजे से 3:30 के मध्य आरोपी पंकज प्रार्थी के घर आया और प्रार्थी का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गया और प्रार्थी के घर का सामान फेंकने लगा प्रार्थी की पत्नी और उसके पुत्र ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.08.07 14:09:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसने गाली–गलौज करते हुए मारने पीटने पर आमादा हो गया जिसका वीडियो प्रार्थी के पास है। प्रार्थी की पत्नी ने डायल 112 पर काल करके पुलिस बुलाई थी जिसकी इवेन्ट आई०डी पी 10052611932 है और पी०आर०वी० यू०पी० 32 डी०जी० 5101 है और संपर्क नं० 915224562295 है। तभी आरोपी पंकज ने थाना कमालगंज में फोन करके पुलिस बुला ली कुछ देर बाद प्रार्थी भी घर पर आ गया। थाना कमालगंज की पुलिस थाने की गाड़ी भरकर आई जिसमें लगभग 10 पुलिस वालें थे, जिसमें प्रार्थी तीन पुलिस बाले सुरजीत कुमार, ललित कुमार व अजीत सिंह को जानता है और आते ही पुलिस बाले इन तीनों ने प्रार्थी से कहा चमट्टे तुझे एक बार समझाया था समझ में नही आया मकान खाली कर नही तो जान से मार देंगे। प्रार्थी ने पुलिस वालों को कोर्ट के सत्यापित कागज दिखाये परंतु पुलिस बालों ने प्रार्थी की एक न सुनी और कहा इंस्पेक्टर साहब ललित कुमार ने प्रार्थी के मकान खाली करके कब्जा पंकज को दे दिया और प्राथी के घर का सामान पुलिस वालों ने निकलबाकर बाहर फिकबा दिया और पंकज को कब्जा करा दिया। पुलिस बालें प्रार्थी को उठाकर अपने साथ थाने ले गई वहाँ भी इन तीनों पुलिस बालों और अन्य पुलिस बालों ने प्रार्थी को जाति सूचक गालीयॉ देते हुए मारा पीटा और प्रार्थी को एक दिन थाने में बैठाये रखा और दूसरे दिन दिनांक 11.05.2026 को प्रार्थी का शांति भंग में चालान कर दिया है। प्रार्थी के घर में प्रार्थी के 35,000/ रूपये नगद व उसकी पत्नी के सोने के जेबर, कान के कुंडर व नाक का फूल एव एक जोडी सोने के कंगन भी रखे थे प्रार्थी ने आरोपी व पुलिस वालों से खूब कहा कि मेरे जेबर व रूपया भी घर में रखे है निकाल लेने दो परंतु उसकी एक ना सुनी। थाना पुलिस कमालगंज के द्वारा आरोपी से अनुचित लाभ लेकर पुलिस के द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी के मकान पर कब्जा कराया गया है और उसके घर में डकैती कराई गई है और पुलिस के द्वारा उक्त कृत्य पूर्व योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण व पूर्व के सभी प्रकरणों का हवाला देते हुए एवं पुलिस बालों के उक्त कृत्यों का भी हवाला देते हुए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2026 को पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ को प्रेषित किया था परंतु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है। विवश होकर न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अपराध संज्ञेय प्रवृति का है। इस प्रकरण में साक्ष्य इकट्ठा करना है जो पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। प्रार्थना पत्र में दिये गये कथनों से प्रथम दृष्टतया संज्ञेय अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध बनना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की विपक्षीगण/अभियुक्तगण पंकज व सुरजीत कुमार व अजीत सिंह व ललित कुमार कोतवाल कोतवाल कमालगंज जिला फर्रुखाबाद व 7 अज्ञात पुलिस बालों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके विवेचना करने के आदेश देने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.05.2026 व 22.04.2026 की छायाप्रति मय डाक रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद को प्रेषित प्रार्थना पत्र 21.04.2026 की छायाप्रति द्वारा IGRS NO 40015926007199 मय पावती द्वारा

मिजाजीलाल, सिविल वाद संख्या 149/2026, मिजाजीलाल प्रति पंकज के वादपत्र की छायाप्रति एवं प्रार्थना पत्र निस्तारण दिनांक 29.04.2026 द्वारा उ.नि. महेन्द्र सिंह, थाना कमालगंज मय प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2026 कथित इकरारी मिजाजीलाल द्वारा हस्ताक्षर मिजाजीलाल मय फोटोग्राफ मिजाजीलाल व उ.नि. महेन्द्र सिंह की छायाप्रति दाखिल की है।

इसके अतिरिक्त सूची दिनांकित 29.07.2026 के माध्यम से एक किता पेन ड्राइव मय प्रार्थना पत्र धारा 63(4)(C) मय शपथ पत्र आवेदक दिनांकित 29.07.2026, तीन किता शपथ पत्र चश्मदीद गवाह (स्वतन्त्र) घटनास्थल दिनांकित 29.07.2026, वीर सिंह, आकाश, चन्द्रशेखर, निवासीगण ग्राम फतेहउल्लापुर, पोस्ट कमालगंज, जनपद फर्रूखाबाद दाखिल की है।

इसके अतिरिक्त आवेदक मिजाजीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लिखित बहस दिनांकित 30.07.2026 प्रस्तुत की गयी है।

4. इस सम्बन्ध में थाना कमालगंज से जाँच आख्या आहूत की गयी। जिस पर प्रभारी निरीक्षक, कमालगंज, जनपद फर्रूखाबाद द्वारा विस्तृत आख्या दिनांकित 22.05.2026 इस आशय की प्रस्तुत की गयी है।

जाँच रिपोर्ट के साथ रजिस्टर्ड बैनामा दिनांकित 19.022.2026 की छायाप्रति एवं जी.डी. संख्या 31 दिनांकित 10.05.2026 व जी.डी. संख्या 32 दिनांकित 10.05.2026 की प्रति दाखिल की गयी है।

5. प्रस्तुत मामलें में आवेदक का कथन है कि विपक्षी पंकज आवेदक के परिवार पर कब्जा करना चाहता है और दिनांक 20.04.2026 को समय करीब छः बजे शाम आरोपी पंकज ने अपने साथियों के साथ आवेदक को रास्ते में घेरकर गाली गलौज करते हुए मारा पीटा था। दिनांक 29.04.2026 को थाना पुलिस कमालगंज ने उसे थाने में बुलाया और झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये और दिनांक 21.04.2026 को झूठी रिपोर्ट लगाकर मामलें का निस्तारण कर दिया तथा दिनांक 10.05.2026 को आवेदक सिलेण्डर लेने गया था दोपहर 02.45 से 03.20 के मध्य आरोपी पंकज आवेदक के घर आया। दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया। आवेदक के घर का सामान फेंक दिया। आवेदक के पुत्र एवं पत्नी ने रोकने का प्रयास किया फिर वह गाली गलौज कर मारने पीटने पर अमादा हो गया। जिसका वीडियों आवेदक के पास है। आवेदक की पत्नी ने डायल 112 में काल करके पुलिस बुलायी तथा आरोपी पंकज ने थाना कमालगंज में फोन करके पुलिस बुला ली। थाना कमालगंज की पुलिस कर्मियों द्वारा उसे जातिसूचक गाली दी गयी और धमकी दी और पुलिस वालो ने आवेदक के मकान को खाली करके कब्जा पंकज को दे दिया और आवेदक के घर का सामान निकलवाकर बाहर फिकवा दिया। फिर पंकज ने कब्जा कर लिया। थाने में भी पुलिस द्वारा उससे मारपीट की गयी। एक दिन थाने में बिना किसी कारण के रखा गया और दिनांक 11.05.2026 को आवेदक का शान्ति भंग में चालान कर दिया। थाना कमालगंज पुलिस द्वारा

आरोपी से अनुचित लाभ लेकर उसे मकान पर कब्जा कराया गया है।

आवेदक का यह भी कथन है कि प्रार्थी का उसके गांव के पंकज से मकान का विवाद चलता है, जिसके सम्बन्ध में उसने के वाद संख्या 149/2026 मिजाजीलाल बनाम पंकज न्यायालय में दाखिल किया है, जो विचाराधीन है।

आवेदक द्वारा इस सम्बन्ध में वाद संख्या 149/2026 के वादपत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी पंकज के विरूद्ध वादी की सम्पत्ति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप कब्जा करने से स्थायी रूप से रोके जाने की याचना की गयी है। उपरोक्त वाद दिनांक 17.04.2026 को न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), फर्रूखाबाद में संस्थित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है, किन्तु वादी की ओर से ऐसा कोई प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त वाद में आवेदक के पक्ष में कोई स्टे आदेश पारित किया गया हो।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति के बाबत मिजाजीलाल एवं पंकज के बीच सिविल प्रकृति का वाद न्यायालय में लम्बित चल रहा है।

सम्बन्धित थाने की आख्या दिनांकित 22.05.2026 में यह अंकित है कि दिनांक 10.05.2026 को शिवांगी पत्नी मिजाजीलाल द्वारा हत्या के प्रयास की सूचना PRV5101 पर दी गयी तथा उसी गांव से PRV9252 पर शिवकुमारी पत्नी पंकज द्वारा सूचना दी गयी कि पड़ोसी मिजाजीलाल लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उक्त सूचना पर सम्बन्धित थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और जानकारी की तो यह तथ्य प्रकाश में आया की राजन पुत्र यादराम व छाया पुत्री यादराम द्वारा शिवकुमारी पत्नी पंकज को अपने हिस्से का बैनामा किया है। पड़ोस में मिजाजीलाल का मकान है। मिजाजीलाल उस मकान में कब्जा करना चाह रहा था। ग्रामीणों द्वारा मौके पर बताया गया कि राजन पुत्र यादराम ने अपने हिस्से का मकान शिवकुमारी पत्नी पंकज को बेच दिया है। मिजाजीलाल इसी मकान में कब्जा करना चाह रहा है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा मिजाजीलाल व पंकज को अन्तर्गत धारा 170 बी.एन.एस.एस. गिरफ्तार किया गया तथा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी। पुलिस द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए दोनों पक्षों पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। प्रार्थना पत्र में जातिसूचक शब्द व घर से नकदी, जेवर निकालने की बात असत्य है।

पुलिस आख्या के साथ संलग्न रजिस्टर्ड बैनामा की छायाप्रति दिनांकित 19.02.2026 के अवलोकन से विदित होता है कि राजन पुत्र यादराम द्वारा शिवकुमार पत्नी पंकज कुमार को 53.36 वर्गमीटर आवासीय भवन का बैनामा मु० 1,30,000/– रूपये प्रतिफल प्राप्त कर किया गया।

उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट है कि आवेदक एवं आरोपी/विपक्षी पंकज के मध्य विवादित सम्पत्ति आवासीय भवन के सम्बन्ध में विवाद विद्यमान है और उक्त विवाद के कारण ही सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा दिनांकित 19.02.2026 के आधार पर घटनास्थल पर पहुँचकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी और शान्ति भंग में दोनों पक्षों का

चालान किया गया।

आवेदक की ओर से इस स्तर पर घटनास्थल पर हुए विवाद के सम्बन्ध में पैन–ड्राइव वीडियो रिकार्डिंग मय शपथ पत्र तथा प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 63(4)(C) BSA, 2023 प्रस्तुत की गयी है, किन्तु आवेदक द्वारा नियमानुसार धारा 63(4)(C) BSA, 2023 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसमें भरी गयी प्रविष्टियां अपूर्ण है, जिस कारण नियमानुसार प्रमाण पत्र न होने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत पेन–ड्राइव साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जा सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड बैनामा दिनांकित 19.02.2026 के लगभग दो माह पश्चात आवेदक के विरूद्ध वाद संख्या 149/2026, मिजाजीलाल बनाम पंकज दाखिल किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। जिसमें वादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर मनोवांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा जो आपराधिक आरोप विपक्षी पर लगाये गये है, वे मात्र मामलें को आपराधिक रंग देने के उद्देश्य से ही लगाये गये है। जिनमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई सच्चाई प्रतीत नहीं होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा स्वयं को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कथन भी किया गया है, किन्तु कोई जाति प्रमाण पत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है, जिस कारण इस न्यायालय को इस मामलें का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक प्रकीर्णवाद संख्या 1086/2026 **खारिज** किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 07.08.2026

(**तरूण कुमार सिंह– I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
फर्रूखाबाद